



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं.- 2231562, वेबसाइट : <http://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि. प्रा./ नि. 1-04/2023 खंड-2 1815 / पटना, दिनांक 22/05/2025
प्रेषक,

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.),
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी, (स.स.),
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
सदर अनुमंडल पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी, (स.स.),
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)

विषय : दी मोतिहारी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मोतिहारी के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के तैयारी के संबंध में ।

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) (1) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है ।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.) एवं अधिसूचना संख्या-9571 दिनांक 27.09.2012 द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्यालय के जिले के सदर अनुमंडल पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है (अनुलग्नक-2)। अपनी सहायता के लिए निर्वाचन पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी (प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ भूमिसुधार उप समाहर्ता/ उप समाहर्ता) को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं।

3. सम्प्रति प्राधिकार जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) से दिनांक 24.04.2025 को प्राप्त ऑनलाईन निर्वाचन प्रस्ताव के आलोक में दी मोतिहारी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मोतिहारी के अध्यक्ष पद का निर्वाचन कराना चाहता है ।

4. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के निर्वाचक मंडल में तीन ग्रुप होते हैं:-

ग्रुप-I. बैंक से संबद्ध पैक्स, बैंक से संबद्ध व्यापार मंडल/ केन डेवलपमेन्ट मार्केटिंग समितियाँ (CDCM)

ग्रुप-II. बैंक से संबद्ध प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियाँ/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ ।

ग्रुप-III. ग्रुप-I. एवं II. में उल्लेखित समितियों को छोड़कर संबद्ध अन्य सहयोग समितियाँ ।

5. दी मोतिहारी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मोतिहारी के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 30.04.2025 होगी, अर्थात् ग्रुप I, ग्रुप II एवं ग्रुप III की जो समितियाँ दिनांक 30.04.2025 तक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबद्ध हो चुकी हैं, उनका नाम ही मतदाता सूची में अंकित किया जा सकेगा ।

6. **दी मोतिहारी सेन्द्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मोतिहारी** के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तीन ग्रुप में तैयार की जायेगी। ग्रुप-1 के मतदाता सूची में दो खंड होंगे। प्रथम खंड ग्रुप-1, A तथा द्वितीय खंड, ग्रुप-1 B कहलाएगा। ग्रुप-1 A में ग्रुप-1 में बैंक से संबद्ध पैक्सों एवं उनके डेलिगेटस का नाम होगा। ग्रुप-1 B में केवल बैंक से संबद्ध व्यापार मंडल/ केन डेवलपमेंट मार्केटिंग समितियाँ एवं उनके डेलिगेटस के नाम होंगे। ग्रुप-11 के मतदाता सूची में निर्वाचक मंडल के ग्रुप-11 से संबंधित समितियाँ (प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियाँ/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ) के डेलिगेटस के नाम होंगे। ग्रुप-111 के मतदाता सूची में ग्रुप-111 से संबंधित समितियों के डेलिगेटस के नाम होंगे।

कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ संबद्ध समितियों की चुनाव प्रक्रिया अभी जारी है। वैसे मामलों में मतदाता सूची के संगत स्तंभ 4 में सिर्फ अध्यक्ष अंकित किया जायेगा एवं स्तंभ 5, 6, 7 एवं 9 को खाली रखा जायेगा। वैसे समितियों का चुनाव संपन्न हो जाने के पश्चात् संबंधित निर्वाचित अध्यक्षों से नामांकन के पूर्व आवेदन पत्र प्राप्त कर, जिसके साथ निर्वाचन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न रहेगी, स्तंभ 4 में निर्वाचित अध्यक्ष का नाम भी अंकित कर दिया जायेगा एवं शेष स्तंभों में भी उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंकित कर दी जायेगी। मतदाता सूची के ग्रुप-1 (ग्रुप-1A एवं 1B) ग्रुप-11 एवं ग्रुप-111 के प्रत्येक स्तंभ को सही-सही भरने की जिम्मेवारी प्रबंध निदेशक की होगी। वे उक्त प्रपत्रों में वांछित सारे विवरण अंकित करेंगे और उसे प्राधिकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। इस प्रारूप के प्रत्येक पृष्ठ पर काटे हुये पृष्ठ सहित प्रबंध निदेशक का हस्ताक्षर होगा।

7. प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग-अलग उप शीर्ष (Sub headings) होगा। मतदाता सूची का संख्यांकन निम्न दो प्रकार से किया जायेगा :-

(क) लगातार संख्यांकन जिसे मतदाता सूची क्रम संख्या कहा जायेगा।

(ख) मतदाता सूची के प्रत्येक खंड के लिए 1 से प्रारंभ होता हुआ संख्यांकन (ग्रुप मतदाता सूची क्रम संख्या)

प्रत्येक खंड के अंत में एक रेखा खींच दी जायेगी तथा दूसरा खंड एक अलग शीट पर प्रारंभ किया जायेगा। दोनों खंडों के बीच अगर कोई खाली पृष्ठ हो तो उसे काट दिया जायेगा।

(ग) मतदाता सूची का शीर्ष, संख्यांकन आदि संबंधित प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में अंकित हैं।

8. प्रबंध निदेशक, **दी मोतिहारी सेन्द्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, मोतिहारी** तीन प्रतियों में मतदाता सूची तैयार कर जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। ज्ञातव्य है कि प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 द्वारा दिये गये विस्तृत निदेश के आलोक में संबंधित समिति (बैंक) ने पूर्व में अपने निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित तथा पर्यवेक्षकीय कर्मी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सूची तैयारी की होगी। निदेशक मंडल के उक्त बैठक के बाद एवं मतदाता सूची की तैयारी के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि के पूर्व, कोई समिति सदस्य बनाई गयी हो, अथवा हटाई गयी हो, तो वैसे परिवर्तनों के आधार पर किये गये संशोधनों को भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जायेगा एवं उस पर यथा स्थिति समिति (बैंक) के अध्यक्ष/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जायेगा। समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची को आधार सूची माना गया है। अतः उस सूची से किसी सदस्य समिति का नाम हटाया गया हो तो समिति (बैंक) को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत तथा किस प्रक्रिया को अपनाकर सदस्यता समाप्त की गयी है। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य समिति की कोई अयोग्यता हो तो उसका उल्लेख संबंधित प्रपत्र के स्तम्भ-9 में निश्चित रूप से कर दिया जाय।

9. ग्रुप-I, ग्रुप-II एवं ग्रुप-III के अनुसार मतदाता सूची तैयार कर दी मोतिहारी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, मोतिहारी के प्रबंध निदेशक द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 30.05.2025 तक उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने यहाँ उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उसकी प्रमाणिकता की जांच करेंगे एवं जाचोंपरांत तथा संशोधनोंपरांत, अगर कोई हो, उसे सत्यापित कर निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

10. जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित सदस्यता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना संलग्न प्रपत्र-IV (अनुलग्नक-3) में निर्गत की जायेगी।

11. मतदाता सूची के तैयारी के संबंध में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र0	कार्यक्रम	अवधि
1	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	30.05.2025
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	02.06.2025
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन	03.06.2025
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपतियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपतियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	03.06.2025
5	प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपतियाँ दायर करने की अवधि	03.06.2025 से 13.06.2025 तक
6	आपतियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	16.06.2025

12. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन प्राधिकार द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार निम्न स्थानों पर किया जायेगा-

- (क) संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सूचना पट पर।
- (ख) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में।
- (ग) अगर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिलों में पड़ता है तो वैसे प्रत्येक गैर मुख्यालय जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में।
- (घ) प्राधिकार के वेबसाइट पर (इससे संबंधित निदेश संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है।)

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर “मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं” पर क्लिक कर देख सकेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, मोतिहारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मोतिहारी को दिनांक 04.06.2025 तक उपलब्ध करा दी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रारूप प्रकाशन किये जाने संबंधी उक्त सूचना को प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर दिनांक 06.06.2025 तक भेज देंगे।

अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रारूप प्रकाशन की स्थिति/ सूचना को ससमय प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रविष्टि कराये, ताकि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके।

13. निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर से प्रारूप का प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना अनुलग्नक-3 में दिये गये प्रपत्र में स्थानीय समाचार पत्र/ पत्रों में सामान्य विज्ञप्ति के माध्यम से सभी संबद्ध समितियों को दी जायेगी।

14. प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के समय प्रबंध निदेशक निश्चित रूप से प्रपत्र के स्तम्भ 8 एवं 9 में अन्य अयोग्यताओं (यदि हो) के साथ स्पष्ट रूप से डेलीगेट एवं समिति का संबंधित बैंक के बकाये एवं अन्य ज्ञात बकायों का उल्लेख करेंगे। आगाह किया जाता है कि अगर मतदाता सूची के संगत स्तम्भ में अयोग्यता का उल्लेख नहीं किया जायेगा, तो संवीक्षा के समय ऐसी किसी अयोग्यता को आधार बनाकर दाखिल की गयी आपत्ति को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दिया जायेगा।

15. आपत्तियां अनुलग्नक-4 एवं अनुलग्नक-5 पर कमशः दिये गये प्रपत्र-V एवं VI में दी जा सकेगी। प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में किसी एक डेलीगेट द्वारा ही आवेदन दिया जा सकता है। कई डेलीगेट के नाम एवं/ या हस्ताक्षर से दिये गये आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समूह में व्यक्तिगत डेलीगेट के आवेदन इकट्ठा कर प्रस्तुत करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में विहित प्रपत्र में आपत्ति प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल करायी जायेगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति पत्र पर ही सम्यक् आदेश पारित किया जायेगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जायेगा। पिछले चुनाव की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति द्वारा हटा दिया गया हो, तो मांगे जाने पर समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम / नियमावली के विहित प्रावधानों का पालन करते हुए ही नाम हटाया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर सहकारिता

पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम विगत निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ समिति का बैंक से संबद्धता संबंधी प्रमाण पत्र तथा डेलीगेट का निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त निर्वाचन प्रमाण पत्र या पैक्स से भिन्न कुछ सोसाइटियों में निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जाने की स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा घोषित परिणाम की प्रति की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जांच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। साथ-साथ आवश्यकता अनुसार इन मामलों में संबंधित समितियों/ सहकारिता विभाग/ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के स्थानीय पदाधिकारियों से प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

16 प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी डेलीगेट्स के नाम, उसके पिता के नाम अथवा पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु सक्षम होंगे।

17. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किये जायेंगे उन्हें **अनुलग्नक-6** में दिये गये **प्रपत्र VII** के नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जायेगा जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन-सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन-सी प्रविष्टि में संशोधन किया गया है तथा कौन-सी नयी प्रविष्टि जोड़ी गयी है। प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जायेगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन संबंधी सूचना का प्रारूप **अनुलग्नक-7 (प्रपत्र VIII)** पर देखा जा सकता है।

18 **दी मोतिहारी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, मोतिहारी** की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जायेगा, जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा अनुपूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवर राइटिंग नहीं हो, किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

19 मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय प्रत्येक ग्रूप के लिए अंतिम मतदाता सूची की पाँच प्रतियाँ तैयार की जायेगी। इसकी तीन प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जायेगा तथा शेष बची दो प्रतियों में से एक प्रति जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं शेष एक प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी के यहां अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी निर्वाचन

पदाधिकारी की होगी। जो डेलीगेट्स मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹2/- प्रति पृष्ठ की दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इसे उपलब्ध कराया जायेगा।

20. दिनांक 16.06.2025 के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी विनिर्दिष्ट स्थलों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन की सूचना प्रपत्र- VIII में निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात् मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन की सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर 'हाँ' अथवा 'नहीं' में किया जायेगा। निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट किया जाता है कि वेबसाइट पर अंतिम प्रकाशन की सूचना की प्रविष्टि होने के पश्चात् ही प्राधिकार द्वारा संबंधित समिति का निर्वाचन कराया जायेगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना उसी दिन प्रपत्र- M- 7 में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूचना को प्राधिकार के ई-मेल पर दिनांक 17.06.2025 तक निश्चित रूप से भेज दिया जायेगा। प्रपत्र- M- 7 निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका के पृष्ठ 84 एवं प्राधिकार के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

21. प्राधिकार के वेबसाइट पर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना की प्रविष्टि हेतु परिशिष्ट-01 के निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

22. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं निर्वाचन पदाधिकारी दोनों अपने-अपने स्तर से संबंधित बैंक के प्रबंध निदेशक को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन
21.05.25
(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1815

/पटना, दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि:- जिला सहकारिता पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गयी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध हैं।

02 प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1815

/पटना, दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग/ प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1815

/पटना, दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 21.05.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1815

पटना / दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि:— मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री वेद प्रकाश, आई.टी. प्रोफेशनल को निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

 21.05.25

संयुक्त सचिव।

मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि / अपलोड से संबंधित निर्देश।

दिनांक 03.06.2025 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अन्य विहित स्थानों के अलावे प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रारूप मतदाता सूची को स्कैन कर के PDF File में अपलोड किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी—

- i. प्राधिकार के वेबसाइट <https://bsea.bihar.gov.in> का लॉगिन पेज open करेंगे,
- ii. ऊपर वर्णित “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” टैब पर क्लिक करेंगे,
- iii. मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना (M-2) पर क्लिक करेंगे,
- iv. टेबल में उपलब्ध विभिन्न पत्र संख्या के सामने “View” बटन पर क्लिक करेंगे,
- v. क्लिक करने के उपरांत नीचे खुले दूसरे टेबल में “प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” की सूचना देते हुए प्रारूप मतदाता सूची के SCANNED PDF फाइल को अपलोड करेंगे,
- vi. SCANNED PDF फाइल अपलोड करने के उपरांत यह आश्वस्त हो लें कि सही फाइल को अपलोड किया गया है, तत्पश्चात् Entry करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मोबाईल नम्बर देने के बाद SUBMIT बटन पर क्लिक करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची स्कैन करने से संबंधी निर्देश :-

- I. प्रारूप मतदाता सूची को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में स्कैन करना है (Grey अथवा Colour में नहीं),
 - II. RESOLUTION 200 से 300 DPI में रखना है,
 - III. SCANNED फाइल को PDF फाइल के रूप में save करना है,
 - IV. PDF फाइल साईज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
 - v. PDF फाइल साईज 30 MB से ज्यादा होने की स्थिति में COMPRESSED करने पर सूची अच्छे से पठनीय होना चाहिए, फाइल quality खराब नहीं होना चाहिए।
- ‘कम्प्यूटर स्कैनर से स्कैन करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। स्कैनर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मोबाईल से स्कैन करते वक्त भी उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

प्रारूप मतदाता सूची का PDF फाइल अपलोड हो जाने के बाद यह वेबसाइट के Home Page पर उपलब्ध Public View “समितियों से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची देखने के लिए क्लिक करें” पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट <https://bsea.bihar.gov.in> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) दिनांक 03.06.2025 को निम्नरूप से किया जायेगा:-

- i) होमपेज में ऊपर “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्रा के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित “प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” में “हाँ” अथवा “नहीं” का चयन कर सबमिट करेंगे।
3. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक **16.06.2025** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे:—
- निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित “अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।
4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन/ अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर “मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं” पर क्लिक कर देख सकेंगे।

.....0.....



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 27 सितम्बर, 2012

अधिसूचना

संख्या- नि०प्रा०/नि० 1-25/2012/ ...9571..... बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के धारा-14 (क) (1) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा 5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्वाचन के लिए संबंधित बैंक मुख्यालय के जिले के सदर अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी उक्त सहकारी बैंको के निर्वाचन हेतु अपने अधीन कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्ता/ उप समाहर्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ) के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त सहकारी बैंको का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

5. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-520 दिनांक 18.03.2010 को विलोपित किया जाता है।

ह०/-

(एन० एस० माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापक : 9571

पटना/ दिनांक 27

सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 9571

पटना/ दिनांक 27

सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ)/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी/ अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक, संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि इसकी पर्याप्त प्रति तैयार कर अपने स्तर से सभी संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करा देने की कृपा करेंगे।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 9571

पटना/ दिनांक 27

सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक..... के निदेशक मंडल के चुनाव के लिए
डेलीगेट्स/ प्रतिनिधि के संबंध में प्रारूप मतदाता सूची

ग्रुप-IA : संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबद्ध पैक्स के डेलीगेट्स/ प्रतिनिधि के लिए

मतदाता सूची क्रम सं०	ग्रुप-1A की मतदाता सूची क्रम संख्या	सदस्य समिति का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि का नाम	पिता का नाम	पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि के निर्वाचन की तिथि	सदस्य समिति की अयोग्यता यदि कोई हो।	डेलीगेट/ प्रतिनिधि की अयोग्यता यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ग्रुप-IB : संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबद्ध व्यापार मंडल/ केन डेवलपमेंट मार्केटिंग समितियों के डेलीगेट्स के लिए

मतदाता सूची क्रम सं०	ग्रुप-IB की मतदाता सूची क्रम संख्या	सदस्य समिति का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि का नाम	पिता का नाम	पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि के निर्वाचन की तिथि	सदस्य समिति की अयोग्यता यदि कोई हो।	डेलीगेट/ प्रतिनिधि की अयोग्यता यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ग्रुप-II: संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबद्ध से संबद्ध प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के डेलीगेट्स/ प्रतिनिधि के लिए

मतदाता सूची क्रम सं०	ग्रुप-II की मतदाता सूची क्रम संख्या	सदस्य समिति का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि का नाम	पिता का नाम	पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि के निर्वाचन की तिथि	सदस्य समिति की अयोग्यता यदि कोई हो।	डेलीगेट/ प्रतिनिधि की अयोग्यता यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ग्रुप-III: ग्रुप IA, ग्रुप IB तथा ग्रुप II में उल्लिखित समितियों को छोड़कर संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबद्ध अन्य सहयोग समितियों के डेलीगेट्स के लिए

मतदाता सूची क्रम सं०	ग्रुप-III की मतदाता सूची क्रम संख्या	सदस्य समिति का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि का नाम	पिता का नाम	पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि के निर्वाचन की तिथि	सदस्य समिति की अयोग्यता यदि कोई हो।	डेलीगेट/ प्रतिनिधि की अयोग्यता यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

निर्वाचन पदाधिकारी

हस्ताक्षर

प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक.....

प्रपत्र-IV

मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक...../बैंक से संबद्ध सभी समितियों के अध्यक्ष।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 एवं बिहार राज्य सहकारिता (संशोधन) नियमावली, 2008 के सुसंगत प्रावधानों तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुसार जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड.....के निदेशक मंडल के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूचियाँ तैयार हो गयी है और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय के समय के दौरान मेरे कार्यालय में और उपर्युक्त बैंक के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। यह जिलों के (यदि बैंक क्षेत्राधिकार एक के अधिक जिलों में पड़ता है) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.)-सह-जिला पदाधिकारी के कार्यालय में भी निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।

निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने की कट-ऑफ-तिथि है।

यदि उपरोक्त कट-ऑफ-तिथि के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किया जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह से (कार्यालय अवधि) के बीच निर्धारित प्रपत्रों में दाखिल किया जाय।

हर ऐसा दावा आक्षेप या तो मेरे कार्यालय में या जिला सहकारिता पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (पदनाम) के समक्ष पेश किया जाय या नीचे दिये गये पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाय कि वह मुझे उपरोक्त तारीख तक मिल जाय। आपत्ति दाखिल करने के लिए निर्धारित प्रपत्रों का नमूना मेरे कार्यालय में उपलब्ध है। प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि निर्धारित है।

कृपया अपने स्तर से भी बैंक से संबद्ध सभी समितियों को उपर्युक्त सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

पता

ज्ञापांक:

दिनांक

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे संलग्न मतदाता सूची को बैंक कार्यालय के सूचना पट पर इस मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना के साथ प्रकाशित करें।

निर्वाचन पदाधिकारी

पता

प्रपत्र-V

(मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध में आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड,

महोदय,

मैंउपर्युक्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के निर्वाचन के लिए प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची के क्रमांक.....पर श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....का नाम यासमिति का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्न कारण (कारणों) से आपत्ति दर्ज करता/करती हूँ :

- (i)
(ii)

अथवा

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारीपिता/पति का नामपताआवेदन/ दर्ज करता हूँ कि मेरा / मेरी नाम यासोसाईटी जिसका मैं एक डेलीगेट हूँ, उपरोक्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की मतदाता सूची में निम्नलिखित कारणों एवं साक्ष्य के आधार पर जोड़ दिया जाय।

कारण (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ का भी उपयोग किया जा सकता है।)

निम्नलिखित साक्ष्य इसके साथ संलग्न है।*

- (i) निर्वाचन प्रमाण-पत्र/ परिणाम घोषणा प्रपत्र की प्रति
(ii) संबंधिता से संबंधित प्रमाण पत्र....
(iii)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उक्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है -

पूरा नाम.....

पिता का नाम

मतदाता सूची का क्रमांक **

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

* मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इनमें से एक या एक से अधिक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगा।

** मतदाता सूची से नाम विलोपित किए जाने के लिए आवश्यक।

की गई कार्यवाई की सूचना

- श्री/श्रीमती/कुमारी....., जोका/की निवासी हैं, द्वारा दी गई आपत्ति को
(1) स्वीकार कर लिया गया है और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की मतदाता सूची के क्रमांक.....पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी.....का नाम यासमिति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है/ क्रमांक.....पर उनका/ उनकी समिति का नाम जोड़ दिया गया है।
(2) निम्नलिखित कारणों से नामजूर कर दिया गया है-

स्थान :

निर्वाचन पदाधिकारी,

तारीख :

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड.....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी....., जो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के डेलीगेट हैं एवंका/की निवासी हैं, तथासोसाईटी के डेलीगेट/ प्रतिनिधि हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांकको प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक है।

स्थान :

आपत्ति प्राप्त करने वाले

तारीख :

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-VI

(मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड,।

महोदय,

मैं, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड से संबद्ध.....सहयोग समिति से डेलीगेट/ प्रतिनिधि हूँ, निवेदन करता/करती हूँ कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि जो..... जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रारूप मतदाता सूची में क्रम संख्या.....परके रूप में दी गई है, शुद्ध नहीं है। उसे कृपया निम्नलिखित रूप में शुद्ध कर दिया जाय।

.....

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी....., जोका/की निवासी हैं, एवं बैंक से संबद्ध सोसाईटी से डेलीगेट/ प्रतिनिधि हैं, द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है तथा संबंधित प्रविष्टि को निम्न रूप में सुधार दिया गया है :

.....

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन पदाधिकारी,

..... पैक्स

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी....., जो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के सदस्य हैं एवंका/की निवासी हैं, एवं बैंक से संबद्धसोसाईटी से डेलीगेट/ प्रतिनिधि हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांकको प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक है।

स्थान :

तारीख :

आपत्ति प्राप्त करने वाले

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-VII

(अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना)

मतदाता सूची के तीन ग्रुपों में से प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग-अलग

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड का नाम :

1. प्रविष्टि जो हटाई गई

मतदाता की क्रम संख्या	सदस्य का नाम	पिता का नाम	संबद्ध सोसाईटी का नाम

2. वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि

मतदाता की क्रम संख्या	वर्तमान प्रविष्टि				शुद्ध की गई प्रविष्टि			
	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता	संबद्ध सोसाईटी का नाम	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता	संबद्ध सोसाईटी का नाम

3. प्रविष्टि जो जोड़ी गई

सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	संबद्ध सोसाईटी का नाम	अयोग्यता यदि कोई हो	मतदाता सूची में दिया गया क्रमांक	संबंधित खंड में दिया गया क्रमांक

प्रपत्र -VIII

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड.....के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त समिति के निर्वाचन सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची कट-ऑफ-तिथि को आधार मानकर तैयार की गई है और उक्त नामावली की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय में तथा संबंधित बैंक के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

2. संलग्न मतदाता सूची की एक प्रति जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को प्रेषित की जा रही है।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान :

पता

ज्ञापांक:

दिनांक

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, के सभी सदस्यों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना दे दें।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान :

ज्ञापांक:

दिनांक

प्रतिलिपि: फ़ैक्स संख्या 0612-2231562, 2215089/ई-मेल- bseapatna@gmail.com/विशेष दूत द्वारा सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, 32, हार्डिंग रोड, पटना-800015 को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान :